रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. No D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248 ] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2000/कार्तिक 17, 1922

No. 248] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2000/KARTIKA 17, 1922

## वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2000

**विषयः चीन जनवादी गणराज्य, हांगकांग, सिंगापुर और थाइलैण्ड से पोलिस्टिरीन के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच - सीगेट के आदेशों के संदर्भ में**

**सं. 33/1/98-डीजीएडी.**—सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (सीगेट) के दिनांक 3.10.2000 के अंतिम आदेश सं0 36/2000-एडी के द्वारा भारत सरकार को निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं-

----"पैरा 12. मामले से विलग होने से पूर्व, हमें यह देखना होगा कि यह न्यायाधिकरण निरन्तर यह विचार व्यक्त करता रहा है कि पाटनरोधी शुल्क को अमरीकी डालरों में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उक्त मुद्रा में तय की जाती हैं । यदि पाटनरोधी शुल्क भारतीय रुपए में लगाया जाता है तो अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दरों में अधोगामी उतार-चढ़ाव होने पर इसका प्रभाव शून्य हो जाएगा । ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जिसमें अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट के कारण पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा । इसलिए, हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि वह इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर यथासंभव शीघ्र शुद्धि संबंधी अधिसूचना जारी करे जिसमें पाटनरोधी शुल्क को अमरीकी डालर के रुप में किसी दर पर निर्धारित किया गया हो ।

पैरा 13 : उपरोक्तानुसार अधिसूचना को अमरीकी डालर के रुप में संशोधित करने के बारे में भारत सरकार को दिए गए निर्देश के अधीन अपील अस्वीकार कर दी गई है और तदनुसार इसे रद्द कर दिया गया है ।

1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम 1995 को ध्यान में रखते हुए दिनांक 8 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं0 33/1/98-डीजीएडी के तहत अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों में निम्नलिखित सुधार किए जाते हैं, अर्थात् -

अंतिम निष्कर्षों के पैरा 15.0 को निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

15.0 प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क लगाने के संबंध में प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं और सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय 39 के अंतर्गत आने वाले हांगकांग, सिंगापुर और थाईलैण्ड के मूल की यहां वहां से निर्यातित पोलिस्टरीन के सभी आयातों पर, केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नानुसार निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं :

| क्रम सं0 | देश का नाम | | पाटनरोधी शुल्क की राशि(अमरीकी डालर/मीट्रिक टन) |
|---|---|---|---|
| 1. | हांगकांग | कोई अन्य निर्यातक<br>जीपीपीएस<br>एचआईपीएस | <br>43.08<br>126.05 |
| 2. | सिंगापुर | कोई अन्य निर्यातक<br>जीपीपीएस<br>एचआईपीएस | <br>12.76<br>20.28 |
| 3. | थाइलैण्ड | कोई अन्य निर्यातक<br>जीपीपीएस<br>एचआईपीएस | <br>145.97<br>238.66 |

एल.वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th November, 2000

Subject:- Anti-dumping Investigation concerning imports of Polystyrene from China, PR, Hongkong, Singapore and Thailand – CEGAT ORDERS reg.

**No. 33/1/98-DGAD.**— The Custom ,Excise & Gold (Control) Appellate Tribunal(CEGAT) final order no. 36/2000-AD dated 3.10.2000 directed Government of India as under :

----"Para 12 . Before parting with the case, we have to observe that this Tribunal was consistently taking the view that anti dumping duty should be imposed in US dollars, because the international prices of the goods are fixed in that currency. If anti-dumping duty is levied in Indian rupee its effect will be